कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–17/2021– 548 दिनांक : 02-09-22

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची /सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोड़रमा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/ साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली ''मुख्यमंत्री जन वन योजना'' योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत फलदार एवं काष्ठ प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण कार्य का द्वितीय वर्ष हेतु **रू0 100.664 (एक करोड़ छियासठ हजार चार सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–21/2019–09/स्वी0 व0प0 दिनांक 20.09.2021, विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–21/2019–36/स्वी0 व0प0 दिनांक 15.02.2022 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–21/2019– 15/आ0 व0प0 दिनांक 29.06.2022 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष–55 मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल **रू0 100.664 (एक करोड़ छियासठ हजार चार सौ रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

क्र.सं.	प्राथमिक इकाई	राशि (लाख में)
1	मजदूरी	31.792
2	आपूर्ति एवं सामग्री	68.872
	कुल योग :–	**100.664**

2. वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस राशि से राजस्व अभिलेखों के अनुसार उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्धारित विभागीय प्रक्रिया एवं प्रजातियों के अनुसार अपनी निजी भूमि पर करवाए गए (ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेड़ पर रैखिक वनरोपण) वृक्षारोपण पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए व्यय किया जाएगा।

3. प्रमंडलवार उप–आवंटित की जा रही राशि माँग के अनुसार राशि का उप–आवंटन किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी **अनुलग्नक–1** पर पर द्रष्टव्य है, जिसके अनुसार लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए देय प्रोत्साहन राशि के लिए विभागीय दर पर भुगतान

सुनिश्चित करेंगे। ऑन लाईन उप–आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2** पर संलग्न है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान बैंक खाते/DBT के माध्यम से ही किया जायेगा।

4. मुख्यमंत्री जन वन योजना के MIS application में व्यापक सुधार कराया गया है, जिसमें प्रत्येक लाभुक से संबंधित वांछित सूचनाओं को upload किये जाने एवं प्रभारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा उसे approve करने के उपरांत auto generated भुगतान पर्ची बनता है, उन्हीं भुगतान पर्ची के आधार पर भुगतान कोषागार के माध्यम से सीधे लाभुकों के खातों में किये जाए एवं मुख्यमंत्री जन वन योजना के Website पर upload किया जाए।

5. प्रोत्साहन राशि का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या–04/यो0बजट–79/2015/2005 दिनांक–14.05.2018 की कंडिका–6.6, 7.1, 7.2 एवं 7.4 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुरुप किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

11. नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

12. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

13. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास निर्गत करेंगे। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट करायेंगे।

14. कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय तथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि। ऐसी योजना ग्रामीण विकास विभाग MGNREGA जोहार/JSLPS के तहत तथा कृषि, पशुपालन, मतस्य, सहकारिता विभाग NHM (हॉर्टीकल्चर के तहत), अनु0जन0अनु0जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण

विभाग भी कार्यान्वित करता है। दोहरीकरण से बचने हेतु सभी Data Base Exchange किया जाय। स्थल निरीक्षण वन विभागीय पदाधिकारी/कर्मी करें तथा कोडिनेट के साथ योजना प्रारम्भ के पूर्ण तथा विभिन्न चरणों का ब्यौरा record में संधारित हो।

15. दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा। यह कंडिका–14 के क्रम में काफी महत्वपूर्ण है।

16. विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंउम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

17. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

18. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNAREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank/डाकघर खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Invome Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(IX) कंडिका– VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

19. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

20. (i) COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(ii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरिडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(iii) कंडिका–18 (II) की monitoring भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी के अधीन रहेंगे।

21. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

22. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशों का पालन किया जाय।

23. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

24. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016

द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

25. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

26. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–46–सह पठित ज्ञापांक–2393, दिनांक–14.08.2020 द्वारा निर्गत निर्देश प्रभावी होगा।

27. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

28. (I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेगें।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्मपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) अग्रिम की राशि वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ–साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ–साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) पूर्व में कई मामले cash transaction/गबन के प्रकाश में आयें है, उक्त से नियंत्रण होगा।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बडी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेगें तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरुप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 01/यो0ब0–17/2021– 548 दिनांक– 02-09-22

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग एवं पलामू/संथाल परगना, दुमका/दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ इनविस सेंटर, राँची/पी0एम0यू0, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

2/9/2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 01/यो0ब0–17/2021– 548 दिनांक– 02-09-22

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ सिमडेगा/ चाईबासा/ लातेहार/ हजारीबाग/ कोडरमा/ दुमका/ साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

2/9/2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जानेवाली "मुख्यमंत्री जन वन योजना" (अन्य व्यय) अन्तर्गत नीजि भूमि पर काष्ठ एवं फलदार प्रजाति के पौधों (काष्ठ प्रजाति 445 एवं फलदार प्रजाति 160 पौधा प्रति एकड़ ट्रेंच घेरान के साथ) का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वित्तीय लक्ष्य (लाख में)		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	iii	xiii	xiv	xv
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	0.458	0.113	**0.571**
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	1.203	1.413	**2.616**
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	0.065	0.115	**0.180**
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	1.154	2.408	**3.562**
5	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	0.148	0.325	**0.473**
6	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	0.030	0.059	**0.089**
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	24.741	55.992	**80.733**
8	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	3.993	8.447	**12.440**
कुल योग :–		**31.792**	**68.872**	**100.664**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-17/2021/548 दिनांक - 02-Sep-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46156	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदूरी	45,800.00 रुपये पैंतालीस हजार आठ सौ
2	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46157	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 03 - मजदूरी	120,300.00 रुपये एक लाख बीस हजार तीन सौ
3	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46159	SGHFOR001 NITISH KUMAR (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA 03 - मजदूरी	6,500.00 रुपये छः हजार पाँच सौ

योग: रुपये एक लाख बहत्तर हजार छः सौ 172,600.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 2/9/2022

पत्र संख्या - 01/YB-17/2021/548 दिनांक - 02-Sep-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46160	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR 03 - मजदूरी	115,400.00 रुपये एक लाख पंद्रह हजार चार सौ
5	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46161	HZBFWL007 VIKAS PALIWAL D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 03 - मजदूरी	14,800.00 रुपये चौदह हजार आठ सौ
6	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46162	KDMFORA02 MAHALING D.F.O (S.F.) KODERMA 03 - मजदूरी	3,000.00 रुपये तीन हजार

योग: 133,200.00

क्रमिक योग: रुपये तीन लाख पाँच हजार आठ सौ 305,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

Run Date: 2/9/2022

पत्र संख्या - 01/YB-17/2021/548 दिनांक - 02-Sep-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46163	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	2,474,100.00 रुपये चौइस लाख चौहत्तर हजार एक सौ
8	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46164	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	399,300.00 रुपये तीन लाख निन्नानवे हजार तीन सौ
9	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46165	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	11,300.00 रुपये ग्यारह हजार तीन सौ

योग: रुपये इकतीस लाख नब्बे हजार पाँच सौ 2,884,700.00

क्रमिक योग: 3,190,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

Run Date: 2/9/2022

पत्र संख्या - 01/YB-17/2021/548 दिनांक - 02-Sep-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46166	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	141,300.00 रुपये एक लाख इकतालीस हजार तीन सौ
11	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46167	SGHFOR001 NITISH KUMAR (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	11,500.00 रुपये ग्यारह हजार पाँच सौ
12	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46168	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	240,800.00 रुपये दो लाख चालीस हजार आठ सौ

योग: 393,600.00

क्रमिक योग: रुपये पेंतीस लाख चौरासी हजार एक सौ 3,584,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 2/9/2022

पत्र संख्या - 01/YB-17/2021/548 दिनांक - 02-Sep-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46169	HZBFWL007 VIKAS PALIWAL D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	32,500.00 रुपये बत्तीस हजार पाँच सौ
14	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46170	KDMFORA02 MAHALING D.F.O (S.F.) KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	5,900.00 रुपये पाँच हजार नौ सौ
15	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46171	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	5,599,200.00 रुपये पचपन लाख निन्यानवे हजार दो सौ

योग: रुपये छप्पन लाख सैंतीस हजार छः सौ — 5,637,600.00

क्रमिक योग: 9,221,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 2/9/2022

पत्र संख्या - 01/YB-17/2021/548 | दिनांक - 02-Sep-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46172	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	844,700.00 रुपये आठ लाख चवालीस हजार सात सौ

योग:		844,700.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड छाछठ हजार चार सौ	10,066,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND,
RANCH

Run Date: 2/9/2022